न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2013/00177

भूरी बाई पत्नी कजोड पुत्री घासीलाल जाति कीर निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेश आत्मज गेन्दीलाल जाति कीर निवासी ग्राम आरामपुरा पंचायत धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दीं ।
2. रामकुंवार आत्मज गेंदी लाल जाति कीर निवासी ग्राम आरामपुरा पंचायत धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. गेन्दी लाल आत्मज उदा जाति कीर निवासी ग्राम आरामपुरा पंचायत धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीयुत जिला कलक्टर, बून्दी ।
5. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील नैनवा जिला बून्दी।
6. दुर्गालाल आत्मज छोटू जाति कीर निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री लोकेश कुमार सैनी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट भूरी बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 92(क) के अन्तर्गत ग्राम दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 3861 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा एवं

खसरा नम्बर 3862 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि पूर्व में नानक्या आत्मज श्री देवा के खातेदारी में दर्ज थी । पूर्व खातेदार नानक्या ने उक्त कृषि भूमि सवंत् 2016 में श्री गोपी आत्मज पोलू को 401/ रूपये में रहन रख दी थी । वादी के पिता ने उक्त भूमि पूर्व खातेदार नानक्या से 521/– रूपये में क्रय कर लिया था और रहन की राशि गोपी को अदा कर दी थी और भूमि को रहन मुक्त करवा लिया । वादी के पिता क्रय की दिनांक से उक्त भूमि पर अपने जीवनपर्यन्त काबिज काश्त रहे और उनकी मृत्यु के बाद वादिनी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है । वादिनी के पिता ने दिनांक 09.04.90 को एक रजिस्टर्ड वसीयत वादिया के पक्ष में निष्पादित की थी । प्रतिवादी क्रम 1 से 3 ने अवैध एंव अनाधिकृत रूप से वादग्रस्त आराजी पर नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया । उक्त अवैध नामान्तरकरण के आधार पर प्रतिवादीगण उक्त भूमि से वादिनी को बेदखल कर उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से अन्तरण करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वादिनी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादिनी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी से वादिनी को बेदखल नहीं करें उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे । यदि दौराने वाद वादिनी को जबरन बेदखल कर कब्जा कर लें तो उससे प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वापस वादिनी को दिलाया जावे ।

4. तत्पश्चात् वादिनी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में दिनांक 27.06.2013 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 01 एवं धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिया कुछ दस्तावेज पेश करना चाहती है । अतः वादिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 01 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.10.2013 के द्वारा वादिनी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2013 से व्यथित होकर वादिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिनी एक वृद्ध महिला है तथा उसको कानून की जानकारी नहीं थी इस कारण वह उक्त दस्तावेज को पूर्व में पेश नहीं कर पायी थी जैसे ही वादिया को जानकारी हुई तो उसने ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड पुलिस थाना नैनवा से प्राप्त किया क्योंकि उक्त रिकॉर्ड पुलिस थाना नैनवा में जप्त था । परीक्षण न्यायालय ने वादिनी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादिनी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में अपनी ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 1 व धारा 151 सीपीसी का पेश किया था और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया । उक्त दस्तावेज प्रदर्शित होने पर वादिनी को अपने वाद में न्याय मिलने की उम्मीद थी । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2013 निरस्त फरमाया जाकर वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 01 एवं धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

9. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि Inter locutory order है जिसकी न्यायालय हाजा में अपील मेन्टेनेबल नहीं है । उक्त आदेश की सक्षम न्यायालय अर्थात् राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी होती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2013 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । वादिनी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में दिनांक 27.06.2013 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 01 एवं धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिया कुछ दस्तावेज पेश करना चाहती है । परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 11.10.2013 के द्वारा खारिज कर दिया । उक्त आदेश की अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 03.12.2013 को की गई थी । न्यायालय हाजा ने अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर परीक्षण न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया । परीक्षण न्यायालय का रिकॉर्ड न्यायालय हाजा में दिनांक 14.03.2022 को प्राप्त हुआ । हमने परीक्षण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । न्यायालय हाजा में अपील विचाराधीन रहते हुए परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 11.07.2016 के द्वारा प्रकरण वादिनी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2016 के विरूद्ध प्रतिवादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 26.03.2019 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण को परीक्षण न्यायालय में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि वादिनी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 01 एवं धारा 151 सीपीसी के विरूद्ध विचाराधीन अपील की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जबकि वादिनी अपीलान्ट का दायित्व था कि वह परीक्षण न्यायालय एवं न्यायालय हाजा में दौराने मूल वाद की अपील स्वयं के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में आदेश 08 नियम 01 एवं धारा 151 सीपीसी के संदर्भ में की गई अपील की जानकारी देते । इस प्रकार वादिनी अपीलान्ट का उक्त कृत्य उचित प्रतीत नहीं होता है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2013 से सहमत हैं तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के इस Observation से सहमत है कि "प्रार्थिनी

द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तु करने का औचित्य मात्र प्रकरण को लम्बा करना लगता है।" उपर्युक्त तथ्यों एवं विवेचन से स्पष्ट है कि वादिनी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का अब कोई औचित्य नहीं है । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2013 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा